भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 5033

उत्तर देने की तारीखः 01.04.2025

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए क्रीमी लेयर

5033. श्री बी. मणिक्कम टैगोर:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 2025 की स्थिति के अनुसार क्रीमी लेयर की समीक्षा संबंधी अद्यतन स्थिति क्या है तथा इसके आकलन के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंड क्या हैं और क्रीमी लेयर की विद्यमान परिभाषा में परिवर्तन करने के संबंध में कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करने हेतु क्रीमी लेयर प्रणाली की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने के लिए हाल में कोई सर्वेक्षण या अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो इन सर्वेक्षणों के प्रमुख निष्कर्ष और सिफारिशें क्या हैं;

(ग) उभरते आर्थिक परिदृश्य के विशेष आलोक में, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए क्रीमी लेयर की समीक्षा हेतु क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(घ) क्या इन सिफारिशों का आशय क्रीमी लेयर वर्गीकरण के लिए आय सीमा या संपत्ति-आधारित आय सीमा में परिवर्तन करना है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) से (घ): क्रीमी लेयर केवल अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) के लिए लागू है। जहां तक ओबीसी के क्रीमी लेयर की समीक्षा का प्रश्न है, आय सीमा में संशोधन समय-समय पर सतत आधार पर किया जाता है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीएंडटी) द्वारा गैर-क्रीमी लेयर की वार्षिक आय सीमा को 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये करने का पिछला आदेश 13.9.2017 को जारी किया गया था। वर्तमान में ओबीसी गैर-क्रीमी लेयर की आय सीमा में और संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****